न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी :– रवि कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान तोलाराम बनाम बनवारीलाल आदि
वाद संख्या 10 वर्ष 2018
निर्णय दिनांक :– 26/04/24

1. तोलाराम पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहम्ण निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू

– वादी –

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र सुरजाराम जाति ब्राहम्ण निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

– प्रतिवादीगण –

3. स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया) शाखा भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू जरिये शाखा प्रबन्धक

– तरतीबी प्रतिवादी –

वाद पत्रा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.11.2021 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार तारानगर से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। लेकिन दिनांक 09.02.2024 को वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष के मुताबिक राजीनामा विवादित भूमि का खाता विभाजन करने का निवेदन किया। राजीनामा सहित सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि उभयपक्ष राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया है अतः यह दावा अन्तिम डिक्री कराना चाहते है तथा विवादित कृषि

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

भूमि ख.नं. 98 तादादी 06.5754 हैक्टेयर रोही ग्राम रेताणा तहसील तारानगर जिला चूरू व ख.नं. 172 तादादी 06.6386 हैक्टेयर रोही ग्राम भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू का खाता विभाजन बरूये राजीनामा निम्न प्रकार किया जाता है कि :-

(1) कृषि भूमि रोही ग्राम रैताणा तहसील तारानगर जिला चूरू का ख.नं. 98 तादादी 06.5754 हैक्टेयर वादी बनवारी लाल पुत्र सुरजाराम के हक हिस्सा में रहेगी।

(2) कृषि भूमि रोही ग्राम भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू का ख.नं. 172 तादादी 06.6386 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 तोलाराम लाल पुत्र सुरजाराम के हक हिस्सा में रहेगी। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। जिन पक्षकारों का हिस्सा बैंक के रहन हैं वे बैंक के यथावत रहन रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(रवि कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 26.05.24 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनवाया गया।

(रवि कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उक्त निर्णय दिनांक 26/5/24 में
नोट :- आदेशिका दिनांक 7/5/24 द्वारा बिन्दु संख्या 1 मे वादी का नाम बनवारी लाल के स्थान पर तोलाराम तथा बिन्दु संख्या 02 में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम तोलाराम के स्थान पर बनवारी लाल पढा जाने के आदेश पारित किये गये है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू